न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा,

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 13/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 लीला पत्नी स्व. ढगलाराम		1. नाथूसिंह पुत्र बीजाराम
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. ढगलाराम		2. पुखाराम पुत्र बीजाराम
जातियान जाट निवासीगण		जातियान जाट निवासीगण
मालकोसनी तहसील		मालकोसनी तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर		बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से श्री एन.एस. सोढ़ा, भागीरथसिंह सोढा एडवोकेट

अप्रार्थीगण की ओर से श्री धीरज चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 08.06.2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम मालकोसनी में खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा में से 2/3 हिस्सा आया हुआ है जो मौके पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण के खेत में जाने का कटाणी रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 321 में जाने के लिए एकमात्र रास्ता डामर सड़क जो ग्राम मालकोसनी से भावी जाता है पर जिसके खसरा नम्बर 328 है से खसरा नम्बर 326 के माठ के सहारे–सहारे पीढियों से चलता आया है एवं इस रास्ते से होकर प्रार्थीगण के खेत में जाने का एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता खेत में जाने के लिए नही है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.03.2017 को रात्रि के समय में प्रार्थी के खेत से जो रास्ता मुख्य रास्ता मालकोसनी भावी डामर से मिलता है को पत्थर की पट्टिया रोप कर पूर्णरूप से अवरूद्ध कर दिया है जिसे अब प्रार्थीगण के खेत में जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही रहा है एवं आने वाले समय में प्रार्थीगण अपने खेत में जाकर कृषि कार्य करने से वंछित हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण का परिवार एक गरीब परिवार है एवं कृषि कार्यो पर ही अपना जीवनयापन करता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता रोक देने के कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में जाकर कृषि कार्य करने से वंछित होना पड़ेगा एवं प्रार्थीगण के परिवार को भूखो मरने की स्थिति आ जायेगे। प्रार्थीगण के स्वयं व गांव के मौतबिरान व्यक्तियों से अप्रार्थीगण को समझाने की भर्सक चेष्टा की परन्तु अप्रार्थीगण ने रास्ता खोलने से साफ मना कर दिया। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से लाठी लकड़ी से मुकाबला करने में असमर्थ है जिस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नम्बर 321 से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 326 के दक्षिण माठ के सहारे सहारे जो रास्ता पीढियों से मौजूद रहा है जिसकी लम्बाई करीब 125 फुट होगी एवं जिसकी चौड़ाई 20 फुट रास्ता रहा है को उक्त कानूनी प्रावधानों के तहत रास्ता दिलाया जावे। हल्का पटवारी द्वारा उक्त रास्ते के सम्बंध में भौतिक रिपोर्ट मंगाई जाकर प्रार्थीगण को वर्णित रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. दर्शाया गया है को प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे एवं जिस हेतु जो भी उचित आदेश न्यायालय करेगा प्रार्थीगण आदेश की पालना करने को तैयार है। अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 321 में जाने हेतु दर्शाये गये नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 326 में से रास्ता 20 फुट चौड़ा व प्रार्थी के खेत से मालकोसनी से भावी जाने वाली डामर सड़क तक दिलाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने का आदेश प्रदान करावे कि जिसे की भविष्य में और विवाद उत्पन्न नही हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री धीरज चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, पत्रावली को कोर्ट केम्प ग्राम मालकोसनी में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के गुणावगुण पर गौर किया गया जिससे विदित होता है कि प्रार्थीगण ने धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा को पेश करना बताया है ज़बकि पत्रावली में कोई नक्शा पेश किया हुआ नही है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. पर कोर्ट फीस पेश की हुयी नही है न ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया हुआ नही है उपरोक्त पत्रावली में नक्शा ट्रेस पेश किया हुआ नही है न ही प्रार्थीगण ने पत्रावली में प्रमाणित जमाबन्दी को पेश किया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना कानूनन अनिवार्य होता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी प्रार्थीगण के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए भविष्य में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को नया पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर) सत्यमेव जयते